ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति

बैठक रजिस्टर

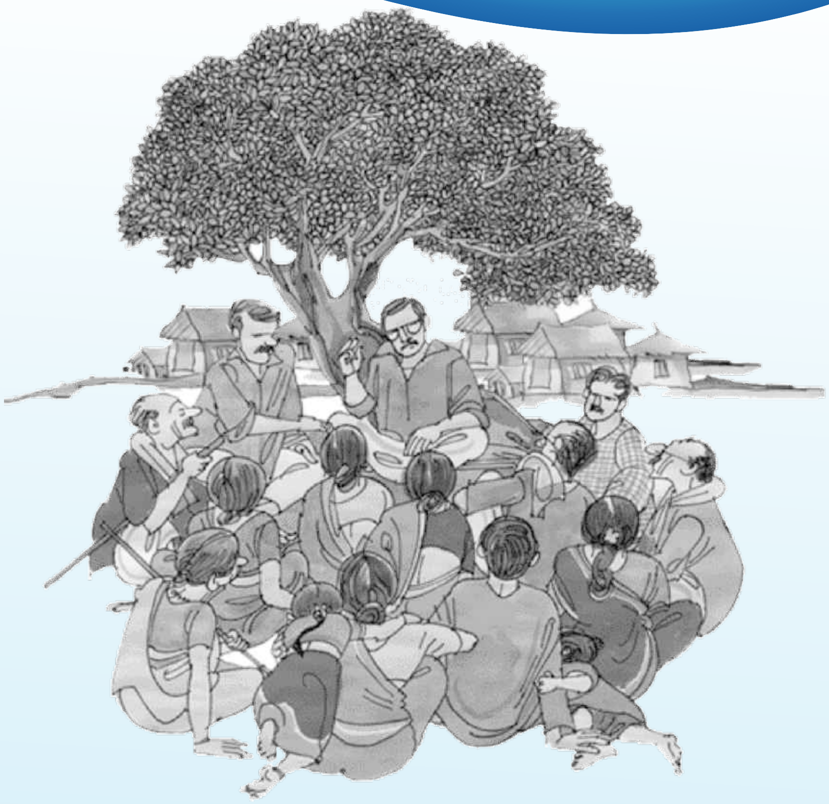

ग्राम पंचायत ....

ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आने वाले राजस्व गांव ....

....

ब्लॉक .... जिला ....

VAAGDHARA

unicef
unite for children

सभी बच्चे चाहे वह किसी भी लिंग, उम्र, धर्म, जाति, रंग एवं क्षेत्र, अमीर एवं गरीब हो, एक समान है। बतोर एक ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति सदस्य यह मेरा कर्तव्य है की सभी बाल संरक्षण समिति सदस्य एवं समुदाय के सदस्य सभी बच्चो के साथ एक समान व्यवहार करें।

बच्चों के लिए विशेष दिन
प्रत्येक दिन बच्चों का अधिकार दिवस

जनवरी

12 : राष्ट्रीय युवा दिवस
24 : राष्ट्रीय बालिका दिवस
26 : गणतंत्र दिवस

मार्च

8 : अर्न्तराष्ट्रीय महिला दिवस

अप्रेल

7 : विश्व स्वास्थ्य दिवस
30 : भारतीय बालश्रम विरोधी दिवस

जून

12 : अर्न्तराष्ट्रीय बालश्रम विरोधी दिवस

अगस्त

12 : अर्न्तराष्ट्रीय युवा दिवस
15 : स्वतंत्रता दिवस

सितम्बर

5 : शिक्षक दिवस
8 : अर्न्तराष्ट्रीय साक्षरता दिवस

अक्टूबर

2 : महात्मा गांधी जयन्ती

नवम्बर

11 : राष्ट्रीय शिक्षा दिवस
13–20 : बाल अधिकार सप्ताह
14 : बाल दिवस
20 : अर्न्तराष्ट्रीय बाल दिवस

दिसम्बर

1 : विश्व एड्स दिवस
3 : अर्न्तराष्ट्रीय विशेषयोग्यजन दिवस
10 : मानवाधिकार दिवस

सभी बच्चे चाहे वह किसी भी लिंग, उम्र, धर्म, जाति, रंग एवं क्षेत्र, अमीर एवं गरीब हो, एक समान है। बतोर एक ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति सदस्य यह मेरा कर्तव्य है की सभी बाल संरक्षण समिति सदस्य एवं समुदाय के सदस्य सभी बच्चो के साथ एक समान व्यवहार करें।

ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति
निर्देशिका

परिभाषाः ग्रम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति '' समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर बाल अधिकारों के हनन को रोकने एवं बाल संरक्षण के प्रभावित मुद्दो पर सक्रीय पहल करने वाली स्थानीय व चयनित लोगों की समिति हैं। सभी सदस्य मिलकर गॉव मे बच्चों से जुडी समस्या को जानने व उस का समाधान करने के लिए गॉव के सभी मौहल्लों, वर्ग, जाति व लिंग के प्रतिनिधियों को चुनकर एक कार्यकारीणी का गठन करते है जो मासिक बैठकों के माध्यम से अपनी नियमावली तैयार कर समिति का संचालन करते है एवं बच्चों से जुडी समस्याओं का समाधान करते हैं।

उद्वेश्यः ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति जैसा कि नाम से प्रतित होता है ग्राम पंचायत स्तर पर बच्चों की रक्षा करने वाली समिति या समूह को ही बाल संरक्षण समिति कहते है। ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति निम्न उद्वेश्यों को लेकर तैयार की गई है-

- बाल संरक्षण के मुद्दें ; बाल विवाह, बालश्रम, भेदभाव, दुर्व्यवहार से बचाव और आवश्यकता एवं देखरेख तथा कानून के साथ संघर्षरत बच्चों को चिन्हीत कर विभिन्न स्तरों पर पहल व कार्यवाही के द्वारा समेकित बाल संरक्षण योजना के निहीत प्रावधानों से जोडकर बाल संरक्षण को सुनिश्चित करना।
- समुदाय स्तर पर बाल संरक्षण के प्रभावित मुद्दो के समाधान, रोकथाम के लिए समुदाय आधारित व्यवस्था का निर्माण करना ।
- बाल संरक्षण समिति, बाल संरक्षण के मुद्दो पर विभिन्न स्तम्भधारकों के साथ समन्वय स्थापित कर लोगों में जागरूकता लाने तथा बाल संरक्षण के मुद्दो पर सूचनाओं का आदान-प्रदान कर समाधान में सहयोग करेगीं।
- मुश्किल में उलझे या उलझने वाले बच्चों की पहचान कर उन्हें सहायता पंहुचाना व इसकी सुचना अग्रिम तंत्र तक पंहुचाना।

प्रक्रिया

स्थान : ग्राम पंचायत स्तरिय बाल संरक्षण समिति का गठन प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाना चाहियें।

सदस्यो का चयन :-

- गॉवों में निर्वाचित सरपंच, पंच एवं आंगनवाडी कार्यकर्ता, अध्यापक, शाला प्रबन्धन समिति अध्यक्ष, ए.एन.एम., दो बाल प्रतिनिधी तथा समुदाय के दो सक्रीय महिला एवं पुरूषों की सदस्यता निर्धारित है।
- बाल संरक्षण समिति में चयनित सभी सदस्यों की नियमित भागीदारी व सर्वसम्मति से निर्णय होंगे।

समूह गठन प्रक्रिया :-

- ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति के गठन के लिये ग्राम पंचायत की बैठक में सर्वसम्मती (कोरम) से गठन किया जाता है
- चयनित सदस्यों से व्यक्तिगत वार्तालाप के माध्यम से बैठक हेतु दिनाँक व स्थान तय कर एक मंच पर एकत्रित किया जाये । समुदाय बैठक में सभी जाति, वर्ग, मोहल्ले के लोगो की भागीदारी सुनिश्चित कर आयोजन करना। जिसमें बाल संरक्षण समिति गठन के उद्वेश्य, भूमिका एवं जिम्मेंदारी पर चर्चा कर स्वयं के अवलोकन को ध्यान में रखते हुऐ लोगों की सर्वसम्मति से सदस्यों का चयन करना।
- समय-समय पर बाल संरक्षण समिति के सदस्यों की सक्रियता व भागीदारी का अवलोकन करना।
- बाल संरक्षण समिति में सदस्यता हेतु व्यक्ति की समुदाय में छवि स्वच्छ हो तथा वह बच्चों के प्रति संवेदनशील हो एवं समय देनें व बाहर आनें जानें के लिये समर्थ हों।

सभी बच्चे चाहे वह किसी भी लिंग, उम्र, धर्म, जाति, रंग एवं क्षेत्र, अमीर एवं गरीब हो, एक समान है। बतोर एक ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति सदस्य यह मेरा कर्तव्य है की सभी बाल संरक्षण समिति सदस्य एवं समुदाय के सदस्य सभी बच्चो के साथ एक समान व्यवहार करें।

एक सफल व मान्य बैठक के सूचक :-

- कम से कम 60 प्रतिशत सदस्य उपस्थिति हों।
- बैठक मे हुई चर्चा व निर्णयों को बैठक रजिस्टर मे इन्द्रिज किया जाये व सब को पढ़कर सुनाया जाये। तत्पश्चात उपस्थित सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर करवाये जायें।
- बैठक चर्चा व निर्णय प्रक्रिया में उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई सदस्यों की सहभागिता हों।

ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति के कार्य :-

- प्रत्येक माह में कम से कम एक बैठक का आयोजन करना।
- गॉँव में बच्चों की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट तैयार करना। वंचित वर्ग, अनाथ, एकल, विकलांग, शिक्षा से वंचित बाल मजदूर, संभावित बाल मजदूर, संभावित बाल विवाह या हो चूके बाल विवाह की सूचि तैयार करना।
- गॉँव में बाल संरक्षण के प्रभावित मुद्दो की पहचान करना।
- समुदाय मे समेकित बाल संरक्षण योजना के प्रावधानों एवं बाल संरक्षण के मुद्दो पर जागरुक करना।
- परिवार, समुदाय, स्कूल में बच्चों के साथ होनें वाले दुर्व्यवहार, भेदभाव को रोकने के लिये निरन्तर सम्पर्क व पहल करना।
- ग्राम स्तर पर बाल संरक्षण के प्रभावित मुद्दो ; बाल विवाह, बालश्रम, भेदभाव, दुर्व्यवहार पर कार्य योजना का निर्माण कर विभिन्न स्तरों पर पहल करना।
- समुदाय, स्कूल, पंचायत, ब्लॉक एवं जिला स्तर पर समन्वय स्थपित करना तथा चिन्हित बाल संरक्षण के प्रभावित मुद्दो के समाधान हेतु प्रभावी पहल करना।
- सरकारी या गैर सरकारी संगठनों द्वारा बाल अधिकार व बाल संरक्षण पर आयोजित होने वाली कार्यशालाओं मे भाग लेना।

  सरकार द्वारा बाल कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देय लाभ की मॉनिटरिंग करना।

निर्णय प्रक्रियाः-

- ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति मे निर्णय सबकी सहभागिता से लिए जायेंगे।
- बैठक चर्चा व निर्णय प्रक्रिया में उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई सदस्यों की सहभागिता हों।
- समिति द्वारा लिये गये निर्णय सभी सदस्यों को मान्य होंगें।
- लिये गये निर्णयों का फॉलो-अप किया जायेगा।
- निर्णय बिना किसी भेदभाव के किये जायेगें।

सभी बच्चे चाहे वह किसी भी लिंग, उम्र, धर्म, जाति, रंग एवं क्षेत्र, अमीर एवं गरीब हो, एक समान है। बतौर एक ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति सदस्य यह मेरा कर्तव्य है की सभी बाल संरक्षण समिति सदस्य एवं समुदाय के सदस्य सभी बच्चो के साथ एक समान व्यवहार करें।

सदस्यों का विवरण

क्र.स.	नाम	उम्र	लिंग	सामाजिक श्रेणी	व्यवसाय	समिति में पद	सम्पर्क नं.

सभी बच्चे चाहे वह किसी भी लिंग, उम्र, धर्म, जाति, रंग एवं क्षेत्र, अमीर एवं गरीब हो, एक समान है। बतौर एक ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति सदस्य यह मेरा कर्तव्य है की सभी बाल संरक्षण समिति सदस्य एवं समुदाय के सदस्य सभी बच्चो के साथ एक समान व्यवहार करें।

सदस्यों का विवरण

क्र.स.	नाम	उम्र	लिंग	सामाजिक श्रेणी	व्यवसाय	समिति में पद	सम्पर्क नं.

सभी बच्चे चाहे वह किसी भी लिंग, उम्र, धर्म, जाति, रंग एवं क्षेत्र, अमीर एवं गरीब हो, एक समान है। बतोर एक ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति सदस्य यह मेरा कर्तव्य है की सभी बाल संरक्षण समिति सदस्य एवं समुदाय के सदस्य सभी बच्चो के साथ एक समान व्यवहार करें।

ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति की बैठक में उपस्थित सहभागियों की सूची

क्र.स.	नाम	लिंग (B/G/M/F)	हस्ताक्षर

सभी बच्चे चाहे वह किसी भी लिंग, उम्र, धर्म, जाति, रंग एवं क्षेत्र, अमीर एवं गरीब हो, एक समान है। बतोर एक ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति सदस्य यह मेरा कर्तव्य है की सभी बाल संरक्षण समिति सदस्य एवं समुदाय के सदस्य सभी बच्चो के साथ एक समान व्यवहार करें।

क्र.स.	नाम	लिंग **(B/G/M/F)**	हस्ताक्षर

सभी बच्चे चाहे वह किसी भी लिंग, उम्र, धर्म, जाति, रंग एवं क्षेत्र, अमीर एवं गरीब हो, एक समान है। बतौर एक ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति सदस्य यह मेरा कर्तव्य है की सभी बाल संरक्षण समिति सदस्य एवं समुदाय के सदस्य सभी बच्चो के साथ एक समान व्यवहार करें।

ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति बैठक

बैठक का स्थान : **बैठक की तारीख :**

बैठक में उपस्थित सहयोगकर्ता का नाम :

बैठक के मिनट्स लिखने वाले व्यक्ति का नाम :

पिछली बैठक में मुख्य बिन्दुओं की नवीनतम स्थिति :

क्र.स.	बाल संरक्षण में मुद्दे	क्या प्रगति हुई	अनुसंशा / सिफारिश

सभी बच्चे चाहे वह किसी भी लिंग, उम्र, धर्म, जाति, रंग एवं क्षेत्र, अमीर एवं गरीब हो, एक समान है। बतोर एक ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति सदस्य यह मेरा कर्तव्य है की सभी बाल संरक्षण समिति सदस्य एवं समुदाय के सदस्य सभी बच्चो के साथ एक समान व्यवहार करें।

आज की बैठक की कार्ययोजना

1.

2.

3.

4.

5.

आज की बैठक में उठाये गए एवं चर्चा किये गये बाल संरक्षण के मुख्य बिन्दु

क्र.स.	बाल संरक्षण में उठाये गये मुद्दे	चर्चा	अनुसंशा / सिफारिश

सभी बच्चे चाहे वह किसी भी लिंग, उम्र, धर्म, जाति, रंग एवं क्षेत्र, अमीर एवं गरीब हो, एक समान है। बतोर एक ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति सदस्य यह मेरा कर्तव्य है की सभी बाल संरक्षण समिति सदस्य एवं समुदाय के सदस्य सभी बच्चो के साथ एक समान व्यवहार करें।

क्या आपको लगता है की आने वाले दिनो में आपके गॉव में बच्चे जोखिम का सामना कर सकते है, यदि हां, तो किस प्रकार का जोखिम ?

इस तरह के जोखिम को कम करने के लिए क्या करने की जरूरत है?

क्या आप बाल संरक्षण से जुड़ा कोई अनुभव बांटना चाहते है?

सभी बच्चे चाहे वह किसी भी लिंग, उम्र, धर्म, जाति, रंग एवं क्षेत्र, अमीर एवं गरीब हो, एक समान है। बतोर एक ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति सदस्य यह मेरा कर्तव्य है की सभी बाल संरक्षण समिति सदस्य एवं समुदाय के सदस्य सभी बच्चो के साथ एक समान व्यवहार करें।

ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण प्लान

ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आने वाले सभी राजस्व गांव से एकत्रित किये गये डाटाबेस के आधार पर शिक्षा प्रबंधन समिति, ग्राम विकास समिति, ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति द्वारा कार्ययोजना का निर्माण किया जायेगा एवं कार्ययोजना को क्रियान्वित किया जाएगा। डाटाबेस के आधार पर तैयार कार्ययोजना को ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति एवं डी.सी.पी.यू को सम्प्रेषित किया जायेगा एवं उस एकत्रित जानकारी के आधार पर ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति एवं डी.सी.पी.यू., गाँव के जरूरतमंद लोगों को लाभान्वित करने के लिए कार्य –योजना का निर्माण करेगी। यह कार्ययोजना ग्राम पंचायत स्तर पर हो रहें बाल संरक्षण के कार्यो की प्रगति की निगरानी के लिए उपयोगी होगी।

विशेष देखभाल एवं संरक्षण की श्रेणी में आने वाले बच्चों की समेकित जानकारी

क्र.स.	श्रेणी	कुल बच्चे	निर्णय लिया गया	दायित्व	फॉलो किया गया	टिप्पणी
1	अनाथ बच्चे					
2	विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (विकलांग बच्चे)					
3	परित्यक्त बच्चे					
4	जिनके माता–पिता आजीवन कारावास में हो या सजाएं मौत सुनाई गयी हो					
5	नाता जाने वाली माता के बच्चें					
6	पुर्न विवाहित विधवा माता के बच्चें					
7	सड़क पर रहने वाले बच्चें					
8	भीख मांगने वाले बच्चें					
9	बाल मजदूरी करने वाले बच्चें					
10	बाल विवाहित वाले बच्चे					
11	प्राकृतिक आपदा से पीड़ित बच्चें					
12	आर्थिक रुप से कमजोर परिवार के पीड़ीत बच्चें					
13	घुम्मकड़ बंजारे प्रवासी परिवार के पीड़ीत बच्चें					
14	शराब या नशीली दवाओं का सेवन करने वाले परिवार के पीड़ीत बच्चें					
15	गुमशुदा बच्चें					
16	पलायन करने वाले बच्चें					
17	मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना के अर्न्तगत आने वाले पालनहार लाभार्थी वाले बच्चें					
18	विधुर पिता के बच्चें					
19	विधवा माता के बच्चें					
20	विधि से संघर्षरत पीड़ीत बच्चें					
21	विधि से संघर्षरत पीड़ीत बच्चें					
22	अन्य श्रेणी (यदि हो तो उल्लेखित करे)					

सभी बच्चे चाहे वह किसी भी लिंग, उम्र, धर्म, जाति, रंग एवं क्षेत्र, अमीर एवं गरीब हो, एक समान है। बतोर एक ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति सदस्य यह मेरा कर्तव्य है की सभी बाल संरक्षण समिति सदस्य एवं समुदाय के सदस्य सभी बच्चो के साथ एक समान व्यवहार करें।

विशेष आवश्यकता में आने वाले परिवारों की समेकित जानकारी

क्र.स.	श्रेणी	कुल	निर्णय लिया गया	कार्य समाप्ति का दिन	दायित्व	फॉलो किया गया	टिप्पणी
1	बाल मुखिया परिवार						
2	तलाकशुदा परिवार						
3	गैर तलाकशुदा अलग-अलग रह रहे पति-पत्नि						
4	विधवा परिवार						
5	मौसम आधारित प्रवास करने वाले परिवार						
6	स्थायी रुप से प्रवासी परिवार						
7	सामायिक प्रवास करने वाले परिवार						
8	विशेष आवश्यकता द्रविकलांगत्र वाले परिवार						
9	मानसिक रुप से विमंदित परिवार						
10	एड्स रोग से ग्रसित परिवार						
11	टी.बी रोग से ग्रसित परिवार						
12	कुष्ठरोग से ग्रसित परिवार						
13	देरी से पैदा हुए या गोद लिए बच्चे वाला परिवार						
14	प्राकृतिक आपदा/द्यु/दुर्घटना से प्रभावित परिवार						
15	आजीवन कारावास/सजाए मौत सुनाई गये माता-पिता के परिवार						
16	नशा करने वाले परिवार						
17	भूमि विहीन परिवार						
18	अन्य श्रेणी द्रयदि हो तो उल्लेखित करेत्र						

सभी बच्चे चाहे वह किसी भी लिंग, उम्र, धर्म, जाति, रंग एवं क्षेत्र, अमीर एवं गरीब हो, एक समान है। बतोर एक ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति सदस्य यह मेरा कर्तव्य है की सभी बाल संरक्षण समिति सदस्य एवं समुदाय के सदस्य सभी बच्चो के साथ एक समान व्यवहार करें।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (पात्र/लाभान्वितत्र) की समेकित जानकारी

क्र. स.	श्रेणी	लाभान्वित की संख्या			निर्णय लिया गया			कार्य समाप्ति का समय	दायित्व	फॉलो किया गया	टिप्पणी
		पात्रता	पंजीकरण	नियमित लाभ नही मिल रहा है	पात्रता	पंजीकरण	नियमित लाभ नही मिल रहा है				
1	पालनहार										
2	विधवा पेंशन										
3	वृद्धा पेंशन										
4	निशक्त पेंशन										
5	विधवा पुत्री योजना										
6	सबला										
7	शुभलक्ष्मी योजना										
8	स्कॉलरशिप बच्चो के लिये										
9	जन श्री बीमा योजना										
10	कस्तुरबा गाँधी आवासीय योजना										
11	बी.पी.एल. योजना										
12	मुख्यमंत्री आवासीय/इंदिरा आवास योजना										
13	जननी सुरक्षा योजना										
14	मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना										
15	विक्टिम क्षति पूर्ति योजना										
16	पहल योजना										
17	अन्य										

VAAGDHARA

Banswara(Raj)

VOLUNTARY ASSOCIATION OF AGRICULTURE GENERAL DEVELOPMENT, HEALTH AND RECONSTRUCTION ALLIANCE

Address:

मुख्य कार्यालय :-मुकाम पोस्ट कुपडा बॉसवाडा (राज.) पिन कोड :- 327001

फोन : + 91-9414082643 फेक्स : + 91-9024573411

शाखा कार्यालय :- एस-2, राधव अपार्टमेन्ट आदित्य विहार, गॉधी पथ, जयपुर (राज.)

फोन : + 91-141-2359608

E-mail : vaagdhara@gmail.com Website : www.vaagdhara.org